

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA  
परमाणु ऊर्जा विभाग DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

अणुशक्ति भवन/Anushakti Bhavan,  
छ. शि. म. मार्ग C.S.M. Marg,  
मुंबई/Mumbai - 400 001.

सं./No. 7/7/2010/आईआरएंडडब्ल्यू/IR&W/164

जून/June 22, 2012.

**विषय : नियम सं. 4.1(ख) में संशोधन - अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना के अंतर्गत सामान्य अंशदान देकर दो ज्येष्ठ जीवित बच्चों को शामिल करना।**  
**Sub : Amendment in Rule no. 4.1(b) - Coverage of two eldest surviving children under CHSS with the normal contribution.**

---

अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना के प्रयोजन हेतु बच्चों को शामिल करने के बारे में पञ्चमि के दिनांक 27/7/2000 के का.ज्ञा. सं. 1/7/99/आईआरएंडडब्ल्यू/200 द्वारा यथासंशोधित, अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना नियम सं. 4.1(ख) के तहत विद्यमान प्रावधानों के संदर्भ में, अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना के अंतर्गत पंजीकृत दो बच्चों में से एक बच्चे की मृत्यु हो जाने पर अतिरिक्त अंशदान का भुगतान किए बिना अगले जीवित बच्चे को शामिल करके अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना सुविधा का लाभ दिए जाने हेतु इस विभाग में अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

With reference to the existing provisions under CHSS Rule no. 4.1(b), as modified vide DAE O.M. No. 1/7/99/IR&W/200 dated 27/7/2000, regarding inclusion of children for the purpose of the scheme, references have been received in the Department to extend CHSS facility to next surviving child without payment of additional contribution in the event of death of one of the two children, registered under the CHSS.

2. विभाग में सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात अब यह निर्णय लिया गया है कि अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना के खंड सं. 4.1 (ख) में निम्नानुसार संशोधन किया जाए :


After careful consideration in the Department, it has now been decided to revise the clause no. 4.1(b) of CHSS as under :

"बच्चे, सौतेले बच्चे अथवा कानूनी रूप से दत्तक लिए गए बच्चे जिनकी उम्र 25 वर्ष तक है, अधिकतम दो ज्येष्ठ जीवित बच्चों तक सीमित। प्रत्येक अतिरिक्त बच्चे के लिए एक अतिरिक्त दर के गुणांक में प्रत्येक बच्चे के संबंध में अतिरिक्त अंशदान के भुगतान पर लाभ पानेवाले बच्चों की संख्या में वृद्धि हेतु स्वीकृति दी जा सकती है। तथापि, सामान्य अपवाद के रूप में, पहले से एक जीवित बच्चा होने के बाद दूसरे प्रसव में जुड़वा/ दो से अधिक बच्चों के जन्म के मामले में

बच्चों को शामिल करने हेतु इस अंशदान का भुगतान लागू नहीं होगा। 18 वर्ष से अधिक के तथा 25 वर्ष तक के बच्चों की इस योजना के अंतर्गत पात्रता जारी रहेगी, बशर्ते कि वे रोजगार से आर्थिक लाभ न प्राप्त करते हो। तथापि, किसी भी कठिन परिस्थिति में, तर्कसंगत कारणों के लिए किन्हीं व्यक्तिगत मामलों में उम्र की अधिकतम सीमा के संबंध में इकाई प्रधान की सिफारिशों के आधार पर विभाग द्वारा छूट दी जाएगी।

*"Children, step - children or legally adopted children upto 25 years of age, restricted to two **eldest surviving children**. Addition in the number of children can be allowed on payment of extra contribution in respect of each child in multiples of one extra rate for each additional child. However, as a general exception, payment of such contribution will not be applicable for inclusion of children in case of twin/triplet birth in the second delivery even though there is already one living child. Children beyond the age of 18 years and upto 25 years will be eligible for continuation under the scheme provided they are not gainfully employed. However, in case of any hardship, in individual cases for justifiable reasons a relaxation shall be made by the Department on the basis of recommendation of the Head of the Unit in the matter of upper age limit."*

3. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है। “  
This has been issued with the approval of competent authority.

  
(स्वाति पाण्डेय/Swati Pandey)

निदेशक(आईआरएंडडब्ल्यू)/Director (IR&W)

सभी अंस्वासेयो प्रशासनिक प्राधिकारी/All CHSS Administering Authorities

1. निदेशक, भापअर्केड्र/Director, BARC
2. निदेशक, आईजीकार/Director, IGCAR
3. मुख्य कार्यकारी, भापाबो/Chief Executive, HWB
4. मुख्य कार्यकारी, एनएफसी/Chief Executive, NFC
5. केंद्र निदेशक, आरएपीएस/Station Director, RAPS
6. केंद्र निदेशक, टीएपीएस/Station Director, TAPS
7. निदेशक, एएमडी/Director, AMD
8. निदेशक, आरआरकेट/Director, RRCAT
9. निदेशक, वीईसीसी/Director, VECC
10. निदेशक (एचआर), एनपीसीआईएल/Director (HR), NPCIL
11. प्रधान, चिकित्सा प्रभाग, भापअर्केड्र/Head, Medical Division, BARC

- प्रतिलिपि/Copy to :
- (1) अध्यक्ष का कार्यालय, परमाणु ऊर्जा आयोग/सचिव, पऊवि  
O/o chairman, AEC/Secretary, DAE
  - (2) विशेष सचिव के प्रधान निजी सचिव, पऊवि  
PPS to Special Secretary, DAE
  - (3) संयुक्त सचिव (आईएंडएम) के निजी सचिव, पऊवि  
PS to JS(I&M), DAE
  - (4) सचिव, कर्मचारी पक्ष, विभागीय समिति  
Secretary, Staff Side, DC
  - (5) प्रशासनिक अधिकारी-III, भापाअके अस्पताल, भापाअके  
AO-III, BARCH, BARC
  - (6) प्रशासनिक अधिकारी-III, भापाबो, मुंबई- भापाबो के  
दिनांक 2.08.2011 के आईडी नोट सं. भापाबो/ आईआरएम/6  
(10) /595 के संदर्भ में/AO-III, HWB, Mumbai - w.r.t.  
HWB ID Note No. HWB/IRS/6(10)/595 dt 2.08.2011
  - (7) सहायक निदेशक (राभा), पऊवि/Asst. Director (OL), DAE